न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 145 / 2024

प्रार्थी	**बनाम**	विप्रार्थीगण
केसाराम पुत्र भीयाराम वयस्क जाति जाट निवासी भानासर धतरवालों की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा।		1. जसाराम पुत्र जोगाराम वयस्क 2. दलाराम पुत्र जोगाराम वयस्क 3. केशी पत्नी जोगाराम वयस्क 4. पुनमी पत्नी जोगाराम वयस्क 5. खेताराम पुत्र भानाराम वयस्क 6. खेमाराम पुत्र भानाराम वयस्क 7. जसराज पुत्र भानाराम वयस्क 8. थानाराम पुत्र भानाराम वयस्क 9. शेम्भूराम पुत्र भानाराम वयस्क 10. हरखू पत्नि भानाराम वयस्क 11. भोमाराम पुत्र खरताराम वयस्क 12. रावताराम पुत्र खरताराम वयस्क 13. प्रहलादराम पुत्र नन्दराम वयस्क 14. हुकमाराम पुत्र नन्दराम वयस्क 15. हीराराम पुत्र नन्दराम वयस्क 16. सेजी पत्नी नन्दराम वयस्क 17. घमण्डाराम पुत्र खेताराम वयस्क 18. ठाकराराम पुत्र खेताराम वयस्क 19. निम्बाराम पुत्र खेताराम वयस्क जातियान जाट निवासीयान भानासर धतरवालों की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा। 20. ओपाराम पुत्र सागर वयस्क 21. हीराराम पुत्र सागर वयस्क 22. [illegible] पुत्र [illegible] वयस्क 23. शंकराराम [illegible] वयस्क 24. शांति पत्नी [illegible] जाति [illegible] निवासी [illegible] धतरवालों की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा 25. सरपंच ग्राम पंचायत कादानाडी 26. तहसीलदार सिणधरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.08 18:13:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. श्री पाबुराम बेनीवाल, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री जोगराज पोटलिया विप्रार्थी सं. 1 से 7, 9 से 12 शेष एकतरफा।

आदेश

दिनांक –17.04.2025

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी का खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल कादानाडी के ग्राम भानासर धतरवालों की ढाणी में खसरा संख्या 392/219 रकबा 6.5125 हैक्टेयर खातेदारी का आया हुआ है। प्रार्थी ण विप्रार्थीगण के खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी के खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल कादानाडी के ग्राम भानासर धतरवालों की ढाणी में खसरा संख्या 392/219 रकबा 6.5125 हैक्टेयर खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण सं. 1 से 7 व 9 से 12 को जवाब पेश करने हेतु पर्यापत अवसर दिये जाने के उपरांत भी जवाब पेश्ज्ञ नहीं करने पर उनके जवाब का अवसर बंद किया जाता है। शेष विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी के खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल का[illegible] ग्राम भानासर धतरवालों की ढाणी में खसरा संख्या 392/219 रकबा 6.5125 हैक्टेयर खातेदा[illegible] भूमि आई हुई है। प्रार्थी के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा मेढ आई हु[illegible] खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दि[illegible]ओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी के खेत तहसील सिणधरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.08 18:13:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

पटवार मण्डल कादानाडी के ग्राम भानासर धतरवालों की ढाणी में खसरा संख्या 392/219 रकबा 6.5125 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया गया कि तहसील सिणधरी पटवार मण्डल कादानाडी के ग्राम भानासर धतरवालों की ढाणी में खसरा संख्या 392/219 रकबा 6.5125 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076-2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसका प्रार्थी हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा,प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर तहसील सिणधरी पटवार मण्डल कादानाडी के ग्राम भानासर धतरवालों की ढाणी में खसरा संख्या 392/219 रकबा 6.5125 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 17.04.2025 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.08 13:13:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी